भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5670
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

महिला एवं बाल विकास योजनाओं का कार्यान्वयन

5670. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में मंत्रालय के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), पोषण अभियान, वन स्टॉप सेंटर योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ग) क्या सरकार को उक्त जिले में नए आंगनवाड़ी केंद्र, महिला सुरक्षा गृह या बाल देखभाल संस्थान स्थापित करने के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा उक्त जिले में, विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में उक्त योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के उद्देश्य से, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं, जिनमें महाराष्ट्र में महिला सशक्तीकरण और बाल विकास के लिए कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं भी शामिल हैं, को तीन व्यापक मिशनों अर्थात (1) देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; और (3) कठिन परिस्थितियों में

रह रहे बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य में शामिल किया गया है। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): इस मिशन के तहत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक उप–घटकों (i) पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता, (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचा, में पुनर्गठित किया गया है।

(ii) मिशन शक्ति: इसमें महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए क्रमशः दो घटक 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं।

I. संबल - संबल घटक के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं शामिल की गई हैं जिसमें **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)** - निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत और समन्वित तरीके से एकीकृत समर्थन तथा सहायता प्रदान करने, **महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल)** – एक 24x7x365 टोल-फ्री आपातकालीन/गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली जो ईआरएसएस (112) और अन्य मौजूदा हेल्पलाइन/संस्थानों के साथ एकीकृत है; **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)** – घटते लिंगानुपात और जीवन चक्र निरंतरता पर बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करना; **नारी अदालत** - न्याय सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त बनाना और विवाद के समाधान का विकल्प, शिकायत निवारण, परामर्श, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, दबाव समूह कार्यनीति, बातचीत, मध्यस्थता और सुलह जैसी सेवाएं करने लक्ष्य वाली पहल है।

II. सामर्थ्य - 'सामर्थ्य' घटक के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है: **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** - केन्द्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत पहले बच्चे और दूसरी संतान के रूप में लड़की होने पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थियों को नकद प्रोत्साहन दिया जाता है; **उज्ज्वला और स्वाधार गृह (जिसका नाम बदलकर शक्ति सदन रखा गया है)** – दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है; **कामकाजी महिला छात्रावास (जिसका नाम बदलकर सखी निवास रखा गया है)** - शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं; **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण केन्द्र (एनएचईडब्लू)** - राष्ट्रीय स्तर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय तालमेल की

सुविधा प्रदान करना तथा **राष्ट्रीय क्रेच योजना (जिसे पालना नाम दिया गया है)** - का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना है।

(iii) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य ने देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बेहतर पहुंच तथा सुरक्षा के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) को एक मिशन मोड में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को समर्थन और पोषण देना (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना (iii) नवोन्मेषी समाधानों को प्रोत्साहित करने लिए अवसर प्रदान करना (iv) तालमेल संबंधी कार्रवाई को मजबूत करना है।

(ख): इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है तथा निधि सीधे जिले को जारी नहीं की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), पोषण अभियान, वन स्टॉप सेंटर योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) योजनाओं के अंतर्गत जारी/उपयोग की गई निधि का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) और (घ): महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है:

(i) आंगनवाड़ी केंद्र: महाराष्ट्र सरकार से विभिन्न संचार के माध्यम से 8084 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों की मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ii) महिला सुरक्षा गृह: शक्ति सदन योजना एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपनी आवश्यकता का आकलन करते हैं और कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा के बाद हर वर्ष प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। इस योजना के तहत किराए के परिसर में शक्ति सदन चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में कोई शक्ति सदन कार्यरत नहीं है।

मिशन शक्ति के अंतर्गत सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है। इस योजना का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं वहां कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, कामकाजी महिलाओं और नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए किराए के परिसर में सखी निवास चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सखी निवास में रहने वाले लोगों के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर का प्रावधान इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वर्तमान में, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में कोई भी सखी निवास कार्यशील नहीं है।

(iii) बाल देखभाल संस्थान: महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बाल देखभाल संस्थान स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उसी जिले में मिशन वात्सल्य के तहत एक मौजूदा संप्रेक्षण-सह-बाल गृह है।

(ङ): ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों सहित मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पीएम जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। इस मिशन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण पहलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पीएम जनमन के तहत महाराष्ट्र को 17.16 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

- सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान: 1000 सुपोषित ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा और सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत प्रत्येक को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि ग्राम पंचायतों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रोत्साहन की व्यवस्था के माध्यम से पोषण में सुधार लाने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

- परिभाषित संकेतकों पर आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में बुनियादी ढांचे और सेवा प्रदायगी और लाभार्थियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए पोषण ट्रैकर को कार्यान्वित किया गया है।

- फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल: अंतिम लाभार्थी तक सेवा प्रदायगी की ट्रैकिंग के लिए, एमडब्ल्यूसीडी ने घर ले जाने वाले राशन के वितरण के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण तंत्र विकसित किया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पोषण ट्रैकर में पंजीकृत अभीष्ट लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। इसे 100% अपनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। इस मॉड्यूल के सफल कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि टीएचआर इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचता है जिससे अंततः लाभार्थियों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार होगा।

*****

अनुलग्नक

महिला एवं बाल विकास योजनाओं का कार्यान्वयन के संबंध में श्री आष्टीकर पाटिल नागेश बापूराव द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5670 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी/उपयोग की गई निधि का विवरण

(लाख रुपये)

क्र. सं.	योजना	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
1.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	122.68	0.00*	0.00*
2.	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	171339.00	164617.00	169952.00
3.	वन स्टॉप सेंटर	144.94	65.72	1539.69
4.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	9950.00	24083.00	0.00@

* राज्य के पास उपलब्ध वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में अव्ययित शेष राशि वार्षिक आवश्यकता से 12.5% से अधिक थी, जिसके कारण जारी राशि शून्य है (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, व्यय विभाग पर एकल नोडल एजेंसी खाते की शर्तों का अनुपालन न करना)

@ महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा एसएनए मानदंडों का पालन न करने के कारण वर्ष 2023-24 के दौरान पीएमएमवीवाई के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को धनराशि जारी नहीं की जा सकी।

*****